

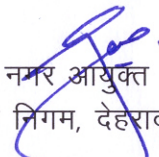
सार्वजनिक निविदा सूचना।

नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत नये सम्मिलित क्षेत्रों में यूनियोपल/होर्डिंग के माध्यम से विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु अनुबन्ध की तिथि से कुल 02 वर्ष हेतु सार्वजनिक निविदा सूचना प्रकाशन की तिथि से दिनांक 26.07.2024 की अपरान्ह 2.00 बजे तक ई0 निविदायें आमंत्रित की जाती हैं:-

क्रम सं0	मार्ग का नाम	यूनियोपल/होर्डिंग हेतु कुल साईट	निगम द्वारा विज्ञापन हेतु आरक्षित निविदा धनराशि
1	मसूरी डाईवर्जन से डोम गांव सीमा तक-38 साईट, साई मन्दिर बगल से काठबंगला होते हुए कृशाली चौक तक-03 साईट, सहस्त्रधारा रोड आई0टी0पार्क से पैसेफिक गोल्फ तक-06 साईट, रायपुर रोड डील फैक्ट्री के आगे पुलियापार से महाराणा प्रताप स्पोर्ट कालेज सांग नदी पुल तक-12 साईट, रायपुर चौक किददुवाला होते हुए डोमाल चौक तक-02 साईट, छः नम्बर पुलिया से अम्बीवाला गुरुद्वारा-03 साईट, छः नम्बर पुलिया से रिंग रोड होते हुए रायपुर रोड-03 साईट, शिमला बाईपास चौक से सेन्टज्युड चौक से शिवालिक कालेज जी0एम0एस0रोड एवं सेट ज्युड चौक से नगर निगम सीमा आसन नदी पुल तक-04 साईट, चन्द्रबनी चौक से आषारोडी नगर निगम सीमा तक-14 साईट, शास्त्रीनगर ढाल से कुआंवाला नगर निगम सीमा तक-15 साईट, बल्लूपुर चौक से पण्डितवाडी नगर निगम सीमा तक-12 साईट।	112	2,53,44,000 / -

निविदा के साथ निविदा सूचना प्रपत्र में 10 प्रतिशत निर्धारित धनराशि रू0-25,34,400 / -की एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 जो नगर निगम, देहरादून के नाम प्लेज होगी। निविदायें ई0निविदा के माध्यम से निर्धारित तिथि एवं समय उपलब्ध करायी जायेगी। निविदादाता को निविदा में अंकित समस्त तकनीकी दस्तावेजों एवं निर्धारित धनराशि की एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 को मूल रूप में दिनांक 25.07.2024 की अपरान्ह 4.00 बजे तक निगम कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा। दिनांक 25.07.2024 तक दस्तावेज मूल में निगम कार्यालय में जमा न किये जाने पर निविदादाता को असफल माना जायेगा। तकनीकी निविदा का परीक्षण दिनांक 26.07.2024 की सांय 4.00 बजे गठित समिति के समक्ष किया जायेगा। तकनीकी निविदा के परीक्षण के उपरान्त तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं की वित्तीय निविदा समिति द्वारा खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र एवं शर्तें विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि से यू0के0टैन्डर की वेबसाईट-www.uktender.gov.in एवं नगर निगम वेबसाईट www.nagarnigamdehradun.com से भी डाउनलोड की जा सकती है। निविदा ई0निविदा के माध्यम से www.uktender.gov.in पर उपलब्ध करायी जायेगी।

नगर आयुक्त
नगर निगम, देहरादून।


नगर आयुक्त
नगर निगम, देहरादून

कार्यालय नगर निगम, देहरादून।

पत्रांक:- 2074 / भूमि-2024-25,
प्रतिलिपि:-

दिनांक:- 05/07/2024

- विज्ञापन व्यवस्थापक हिन्दुस्तान हिन्दी को इस आशय से प्रेषित कि वह उपरोक्त निविदा सूचना का प्रकाशन उत्तराखण्ड, दिल्ली एन0सी0आर0 के आगामी अंक में कराते हुए समाचार पत्र की दो प्रतियां निशुल्क इस कार्यालय को प्रेषित करायें एवं बिल निर्धारित छूट के साथ भुगतान हेतु इस कार्यालय को प्रेषित करें।
- विज्ञापन व्यवस्थापक द पाईनियर अंग्रेजी समाचार पत्र को इस आशय से प्रेषित कि वह उपरोक्त निविदा सूचना का प्रकाशन राष्ट्रीय स्तर के आगामी अंक में कराते हुए समाचार पत्र की दो प्रतियां निशुल्क इस कार्यालय को उपलब्ध करायें एवं बिल भुगतान हेतु इस कार्यालय को प्रेषित करें।
- श्री मनीष पन्त आई0टी0 आफ़ीसर को इस निर्देश के साथ कि उक्त निविदा सूचना को यू0के0 टैन्डर की वेबसाईट पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- नोटिस बोर्ड नगर निगम/कलैक्ट्रेट पर चरप्पा हेतु।
- कार्यालय प्रति।


नगर आयुक्त,
नगर निगम, देहरादून।



वर्ष - 2024-2026

ई0 - निविदा दस्तावेज

कार्य का नाम - मसूरी डाईवर्जन से डोम गांव सीमा तक-38 साईट, साई मन्दिर बगल से काठबंगला होते हुए कृशाली चौक तक-03 साईट, सहस्त्रधारा रोड आई0टी0पार्क से पैसेफिक गोल्फ तक-06 साईट, रायपुर रोड डील फैक्ट्री के आगे पुलियापार से महाराणा प्रताप स्पोर्ट कालेज सांग नदी पुल तक-12 साईट, रायपुर चौक किदूवाला होते हुए डोमाल चौक तक-02 साईट, छः नैम्बर पुलिया से अम्बीवाला गुरुद्वारा-03 साईट, छः नैम्बर पुलिया से रिंग रोड होते हुए रायपुर रोड-03 साईट, शिमला बाईपास चौक से सेन्टज्यूड चौक से शिवालिक कालेज जी0एम0एस0रोड एवं सेट ज्यूड चौक से नगर निगम सीमा आसन नदी पुल तक-04 साईट, चन्द्रबनी चौक से आषारोड़ी नगर निगम सीमा तक-14 साईट, शास्त्रीनगर ढाल से कुआंवाला नगर निगम सीमा तक-15 साईट, बल्लूपुर चौक से पण्डितवाडी नगर निगम सीमा तक-12 साईट।

नगर निगम देहरादून।

ई-मेल आई0डी0-nagarnigam.ddn@gmail.com

वेबसाइट - www.nagarnigamdehradun.com

अनुक्रमांक तालिका

क्र.सं.	विवरण	पेज सं०
1	ई-निविदा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तिथि एवं समय	3
2	कार्य का नाम	3
3	निविदा की शर्तें एवं प्राविधान	3-4
4	तकनीकी निविदा सम्बन्धी विवरण	5
5	वित्तीय निविदा सम्बन्धी विवरण	5
6	संलग्नक-1 बीओओक्यू प्रपत्र	6
7	ई० निविदा प्रेषित किये जाने से पूर्व अभिलेख जांच सूची	7

ई-निविदा दस्तावेज

1. ई-निविदा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तिथि एवं समय-

- ई0 निविदा सूचना प्रकाशित करने की तिथि - 06.07.2024
- वेब साईट पर निविदा अपलोड करने की तिथि-06.07.2024
- निविदा डाउनलोड अवधि-25.07.2024
- ई0 निविदा डालने की अन्तिम तिथि-26.07.2024 समय अपरान्ह 2.00 बजे तक।
- निविदा खोले जाने की तिथि/समय - 26.07.2024 सांय 4 बजे।

2. कार्य का नाम:

राजपुर रोड-मसूरी डाईवर्जन से डोम गांव सीमा तक-38 साईट, साई मन्दिर बगल से काठबंगला होते हुए कृशाली चौक तक-03 साईट, सहस्त्रधारा रोड आई0टी0पार्क से पैसेफिक गोल्फ तक-06 साईट, रायपुर रोड डील फैक्ट्री के आगे पुलियापार से महाराणा प्रताप स्पोर्ट कालेज सांग नदी पुल तक-12 साईट, रायपुर चौक किदूवाला होते हुए डोभाल चौक तक-02 साईट, छ: नैम्बर पुलिया से अम्बीवाला गुरुद्वारा-03 साईट, छ: नैम्बर पुलिया से रिंग रोड होते हुए रायपुर रोड-03 साईट, शिमला बाईपास चौक से सेन्टज्यूड चौक से शिवालिक कालेज जी0एम0एस0रोड एवं सेट ज्यूड चौक से नगर निगम सीमा आसन नदी पुल तक-04 साईट, चन्द्रबनी चौक से आषारोडी नगर निगम सीमा तक-14 साईट, शास्त्रीनगर ढाल से कुआंवाला नगर निगम सीमा तक-15 साईट, बल्लूपुर चौक से पण्डितवाडी नगर निगम सीमा तक-12 साईट।

3. निविदा की शर्तें एवं प्राविधान-

1. यूनिपोल/होर्डिंग विज्ञापन कार्य की अवधि अनुबन्ध की तिथि से 02 वर्ष के लिये मान्य होगी।
2. नगर निगम द्वारा दो वर्ष की निविदा हेतु न्यूनतम आरक्षित धनराशि रू0-2,53,44,000/- निर्धारित है।
3. नगर निगम द्वारा आरक्षित निविदा धनराशि के सापेक्ष कम निविदा धनराशि अंकित करने वाली फर्म/निविदादाता की जमानत के रूप में दी गयी एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 जब्त कर ली जायेगी।
4. निविदादाता फर्म को स्वीकृत निविदा धनराशि की 2 प्रतिशत धनराशि के स्टॉम्प पेपर पर अनुबन्ध गठित करना अनिवार्य होगा।
5. यह कि स्वीकृत निविदादाता को होर्डिंग/यूनिपोल लगाते समय किसी भी स्थल पर विवाद होने के कारण अनयत्र स्थल उपलब्ध कराया जायेगा अथवा उक्त यूनिपोल/होर्डिंग साईट की विज्ञापन शुल्क समानुपात में कम कर दिया जायेगा।
6. यह कि निविदा अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की दैवीय आपदा/महामारी अवधि में छूट प्रदान करने के सम्बन्ध में निर्णय नगर आयुक्त महोदय द्वारा गठित समिति की आख्या के आधार पर विचार किया जा सकेगा।
7. स्वीकृत निविदादाता द्वारा उपरोक्त साईटों में से 04 यूनिपोल/होर्डिंग साईटें सरकारी विज्ञापनों के लिये आरक्षित रखनी होगी। *नी देखा*
8. किसी यूनिपोल/होर्डिंग साईट घटाने/बढ़ाने का अधिकार नगर निगम के पास सुरक्षित होगा।
9. मार्ग के किनारे लगे/लगाये जाने वाले यूनिपोल/होर्डिंग की उंचाई सड़क से मीटर 06 मीटर से अधिक नहीं होगी तथा किन्ही 02 यूनिपोल के मध्य दूरी 20 फिट से कम नहीं होगी तथा कोई भी यूनिपोल चौराहों से 25 मीटर से कम दूरी पर नहीं लगाया जायेगा।
10. मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले होर्डिंग का साईज 6 x 3 मीटर से अधिक नहीं होगा।

11. रोड डिवाइडर के मध्य लगने वाले वाले यूनियोपल की उंचाई जमीन से 30 फिट होनी अनिवार्य है।
12. यूनियोपल/होर्डिंग इस प्रकार लगाया जाना होगा कि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो फिर भी यदि दुर्घटना होती है तो फर्म इस हेतु उत्तरदायी होगी।
13. यूनियोपल/होर्डिंग चिन्हित क्षेत्र/लम्बाई में ही लगाये जायेंगे। स्वीकृत स्थलों के अतिरिक्त अन्य यूनियोपल/होर्डिंग नहीं लगाये जायेंगे।
14. यूनियोपल/होर्डिंग पर लगने वाले विज्ञापनों पर बिजली के कनेक्शन की व्यवस्था विज्ञापन एजेन्सी द्वारा स्वयं के व्यय पर ही की जायेगी। निविदादाता द्वारा यूनियोपल/होर्डिंग पर अलग से अपना मीटर लगाना होगा व विद्युत बिलों का भुगतान भी स्वयं के व्यय पर करना होगा।
15. यूनियोपल/होर्डिंग के मेन्टीनेन्स रंगाई पुताई सम्बन्धी खर्च भी सम्बन्धित फर्म को स्वयं वहन करना होगा।
16. भविष्य में यातायात एवं सौन्दर्यीकरण की दृष्टि से कोई यूनियोपल/होर्डिंग को हटाने की आवश्यकता होती है तो सम्बन्धित एजेन्सी द्वारा 24 घन्टें के अन्दर हटाना होगा जिस हेतु कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।
17. किसी भी विवाद की स्थिति में नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून का निर्णय अन्तिम होगा।
18. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून में निहित होगा। किसी भी वाद के लिये क्षेत्राधिकार जिला देहरादून के जिला न्यायालय/न्यायालयों को होगा।
19. सम्बन्धित विज्ञापन एजेन्सी को समय-समय पर जारी नगर निगम/जिला प्रशासन के आदेशों का अनुपालन करना होगा।
20. यूनियोपल/होर्डिंग पर नगर निगम द्वारा स्वीकृत लिखा जाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही एक से अन्तिम तक संख्या स्पष्ट रूप से लिखा जाना भी अनिवार्य होगा।
21. उपरोक्त यूनियोपल/होर्डिंग पर विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु लगे व्यक्तियों, श्रमिकों अथवा कर्मियों का नियमानुसार ई0पी0एफ0, सेवाकर, बीमा तथा सुरक्षा उपकरणों आदि की व्यवस्था भी फर्म को स्वयं करनी होगी।
22. यूनियोपल/होर्डिंग सम्बन्धित विज्ञापन एजेन्सी द्वारा अपने स्वयं के व्यय पर लगाये जायेंगे, नगर निगम द्वारा उपरोक्त के सम्बन्ध में कोई धनराशि देय नहीं होगी।
23. निविदादाता को अपने आबंटित क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से हुई वॉल पेन्टिंग, बिजली के खम्बों पर लगे अवैध क्योस्क, पोस्टर, बैनर व छतों पर लगे विज्ञापन पट्टों को हटाने का दायित्व निविदादाता का स्वयं का होगा। निविदादाता इस सम्बन्ध में अनाधिकृत विज्ञापन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध फौजदारी अथवा सिविल न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतन्त्र होगा। निविदादाता के क्षेत्र में यदि उसके द्वारा अनाधिकृत विज्ञापन लगा पाया जाता है तो उसकी निविदा निरस्त कर उसे भविष्य के लिये ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल की याचिका सं0-39 वर्ष 2012 का अनुपालन भी करना होगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी निविदादाता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई सिन्डीकेट (Syndicate) या कार्टेल (Cartel) या पूर्व से रजिस्टर्ड ग्रुप बनाकर निविदा की प्रक्रिया को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा, यदि ऐसा कोई तथ्य बाद में प्रकाश में आता है तो उसकी निविदा बिना किसी नोटिस के निरस्त की जा सकेगी तथा उसे ब्लैक लिस्ट किया जा सकेगा।
24. किसी भी विवाद की स्थिति में नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून का निर्णय अन्तिम होगा।
25. निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून में निहित होगा। किसी भी वाद के लिये क्षेत्राधिकार जिला देहरादून के जिला न्यायालय/न्यायालयों को होगा।

4. तकनीकी निविदा सम्बन्धी विवरण—

1. फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
2. निविदादाता को निविदा में प्रतिभाग करते समय पिछले तीन असिसमेन्ट वर्ष (2021-22, 2022-23 तथा 2023-24) की आईटी0आर0 सर्टिफिकेट, संलग्न करना अनिवार्य है।
3. फर्म/निविदादाता को निविदा में प्रतिभाग करते समय पैनकार्ड संलग्न करना अनिवार्य है।
4. निविदा में प्रतिभाग करते समय फर्म/निविदादाता का जी0एस0टी0 नं0 संलग्न करना अनिवार्य होगा।
5. फर्म/निविदादाता को निविदा में प्रतिभाग करते समय औसतन रू0-50.00 लाख से अधिक के विज्ञापन सम्बन्धी कार्य का पिछले 05 वित्तीय वर्ष में अनुभव जो कि किसी भी सरकारी/गैर सरकारी/प्राधिकरण/निगमों से जारी किया गया हो को निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. फर्म/निविदादाता पूर्व में जिस भी सरकारी/गैर सरकारी/निगमों/प्राधिकरणों में विज्ञापन सम्बन्धी कार्य किया जा रहा है वहां से अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. निविदादाता को निविदा में प्रतिभाग करते समय 50.00 लाख का हैसियत प्रमाण पत्र जो कि जिला प्रशासन द्वारा जारी हो तथा 6 माह से पुराना न हो को संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. निविदादाता को निविदा में प्रतिभाग करते समय चरित्र प्रमाण पत्र जो कि जिला प्रशासन द्वारा जारी किया गया हो तथा 6 माह से पुराना न हो को संलग्न करना अनिवार्य होगा।
9. निविदादाता को निविदा में प्रतिभाग करने से पूर्व समस्त तकनीकी दस्तावेजों को स्कैन कर ई0निविदा पोर्टल पर अपलोड करते हुए निविदा में प्रतिभाग करने की अंतिम तिथि से पूर्व दिनांक 25.07.2024 की सांय 4.00 बजे तक रू0-25,34,400/- की धनराशि की सी0डी0आर0/एफ0डी0आर0 जो कि नगर निगम देहरादून के नाम प्लेज होगी को मूल में तथा समस्त तकनीकी दस्तावेजों की मूल प्रति नगर निगम कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है।
10. नगर निकाय/स्थानीय निकाय/सरकारी विभाग अथवा भारत सरकार एवं राज्य सरकार के डिफाल्टर व बकायेदार निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे। इस हेतु निविदादाता को भारत सरकार एवं राज्य सरकार के किसी भी विभाग में डिफाल्टर न होने का रू0-100 के स्टॉम्प पेपर पर नोटराईज्ड का शपथपत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
11. निविदादाता को कार्टेलाईजेशन नहीं किये जाने सम्बन्धी रू0-100 का शपथपत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
12. यह कि उपलब्ध कराये गये समस्त तकनीकी दस्तावेजों का परीक्षण दिनांक 26.07.2024 की सांय 4.00 बजे गठित समिति के समक्ष किया जायेगा। तकनीकी निविदा में सफल निविदादातों की वित्तीय निविदा खोलने की सूचना सम्बन्धित फर्मों को दूरभाष अथवा ई0मेल के माध्यम से दे दी जायेगी

5. वित्तीय निविदा सम्बन्धी विवरण—

1. निविदादाता अपनी निविदा दिनांक 26.07.2024 की अपरान्ह 2.00 बजे तक ई0निविदा वेबसाईट www.uktender.gov.in पर अपलोड करनी अनिवार्य होगी।
2. वित्तीय निविदा सम्बन्धी प्रपत्र संलग्न-1 के अनुसार ई0 निविदा पोर्टल पर भरनी अनिवार्य होगी।

2. सफल निविदादाता हेतु निर्देश सम्बन्धी विवरण—

1. निविदादाता की निविदा स्वीकृत होने पर निविदा स्वीकृति की कुल धनराशि का 50 प्रतिशत 03 दिन के अन्दर तथा अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि 06 माह के अन्दर निगम कोष में जमा करानी अनिवार्य होगी। निर्धारित तिथि तक धनराशि जमा न करने की दशा में 18 प्रतिशत का ब्याज पृथक से देय होगा।

2. निविदादाता द्वारा विज्ञापन कार्य दो वर्ष की अवधि सुचारु रूप से पूर्ण करने के उपरान्त जमानत की धनराशि 06 माह पश्चात वापस की जायेगी।

अर्थदण्ड की शर्तें

1. सरकार द्वारा प्रतिबन्धित उत्पादों जैसे शराब, तम्बाकू सिगरेट आदि के विज्ञापन एवं अश्लील विज्ञापन प्रकाशित एवं प्रदर्शित नहीं किये जायेंगे। यदि फर्म द्वारा उक्त का उल्लंघन किया जाता है कि तो प्रति यूनिपोल/होर्डिंग अर्थदण्ड वसूल किया जायेगा।
2. नगर निगम द्वारा आरक्षित निविदा धनराशि के सापेक्ष कम निविदा धनराशि अंकित करने वाली फर्म/निविदादाता की जमानत के रूप में दी गयी एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 जब्त कर ली जायेगी।
3. निविदादाता द्वारा प्रतिबन्धित स्थलों पर विज्ञापन प्रदर्शित नहीं किये जायेंगे। किसी भी निविदादाता द्वारा अनाधिकृत रूप से विज्ञापन नहीं लगाया जायेगा। यदि यह ज्ञात होता है कि निविदादाता द्वारा अनाधिकृत विज्ञापन लगाया गया है तो उसकी निविदा तत्काल समाप्त करते हुए उसे भविष्य के लिये ब्लैक लिस्ट कर दिया जायेगा।
4. निविदादाता को अपने आबंटित क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से हुई वॉल पेन्टिंग, बिजली के खम्बों पर लगे क्योस्क व छतों पर लगे विज्ञापन पट्टों को हटाने का दायित्व निविदादाता का स्वयं का होगा। निविदादाता इस सम्बन्ध में अनाधिकृत विज्ञापन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध फौजदारी अथवा सिविल न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतन्त्र होगा। इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल की याचिका सं0-39 वर्ष 2012 का अनुपालन भी करना होगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कि कोई भी निविदादाता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई सिन्डिकेट (Syndicate) या कार्टेल (Cartel) या पूर्व से रजिस्टर्ड ग्रुप बनाकर निविदा की प्रक्रिया को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा, यदि ऐसा कोई तथ्य बाद में प्रकाश में आता है तो उसकी निविदा बिना किसी नोटिस के निरस्त की जा सकेगी तथा उसे ब्लैक लिस्ट किया जा सकेगा।
5. यह कि उक्त निविदा में वही निविदादाता/प्रतिभाग कर सकता है जो सभी अर्हता पूर्ण करता हो।
6. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन पर स्वीकृति बिना किसी नोटिस के निरस्त कर दी जायेगी एवं धरोहर के रूप में जमा सी0डी0आर0/एफ0डी0आर0 जब्त कर ली जायेगी।



कर एवं राजस्व अधीक्षक
नगर निगम, देहरादून।



कार्य का नाम— मसूरी ड्राईवर्जन से डोम गांव सीमा तक-38 साईट, साई मन्दिर बगल से काठबंगला होते हुए कृशाली चौक तक-03 साईट, सहस्त्रधारा रोड आईटी00पार्क से पैसेफिक गोल्फ तक-06 साईट, रायपुर रोड डील फैक्ट्री के आगे पुलियापार से महाराणा प्रताप स्पोर्ट कालेज सांग नदी पुल तक-12 साईट, रायपुर चौक किदूवाला होते हुए डोभाल चौक तक-02 साईट, छ: नैम्बर पुलिया से अम्बीवाला गुरुद्वारा-03 साईट, छ: नैम्बर पुलिया से रिंग रोड होते हुए रायपुर रोड-03 साईट, शिमला बाईपास चौक से सेन्टज्यूड चौक से शिवालिक कालेज जी0एम0एस0रोड एवं सेंट ज्यूड चौक से नगर निगम सीमा आसन नदी पुल तक-04 साईट, चन्द्रबनी चौक से आषारोड़ी नगर निगम सीमा तक-14 साईट, शास्त्रीनगर डाल से कुआंवाला नगर निगम सीमा तक-15 साईट, बल्लूपुर चौक से पण्डितवाडी नगर निगम सीमा तक-12 साईट।

(वित्तीय बिड-BOQ प्रपत्र)

112 यूनिपोल/होर्डिंग पर विज्ञापन।

112 यूनिपोल/होर्डिंग पर विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु नगर निगम द्वारा आरक्षित न्यूनतम धनराशि	निविदादाता द्वारा भरी जाने वाली धनराशि अंकों में एवं शब्दों में।
रु0-2,53,44,000 / - (दो करोड़ तिरेपन लाख चौवालीस हजार मात्र)	

निविदा दाता के हस्ताक्षर

नाम

फर्म का नाम

पता

मोबाईल/दूरभाष नं०

ई0 - निविदा प्रेषित किये जाने से पूर्व अभिलेख जांच सूची (चैक लिस्ट) :

क्रम सं०	अभिलेख का विवरण संलग्न किया	विवरण / अभियुक्ति (हाँ / नहीं)
1	फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र।	
2	निविदा में प्रतिभाग करते समय पिछले 3 वर्ष की Assessment Year (2021-22, 2022-23 & 2023-24) की आईटीआर0	
3	प्रोपराईटर/फर्म का पैनकार्ड	
4	फर्म/निविदादाता का जीएसटी0 नं०	
5	05 वर्ष में औसतन रू० 50.00 लाख के विज्ञापन कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र।	
6	अदेयता प्रमाण पत्र।	
7	50.00 लाख का हैसियत प्रमाण पत्र जिला प्रशासन द्वारा जारी।	
8	चरित्र प्रमाण पत्र जिला प्रशासन द्वारा जारी	
9	रू०-2534400/- की एफडीआर0/सीडीआर0	
10	कार्टेलाईजेशन सम्बन्धी शपथपत्र रू०-100/- के स्टॉम्प पर।	
11	भारत सरकार एवं राज्य सरकार के किसी विभाग में डिफाल्टर न होने का रू०-100 के स्टॉम्प पेपर पर नोटराईज्ड शपथपत्र।	